आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 4 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 फरवरी, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

जस्टिस करनन ने न्यायाधीशों पर लगाये भ्रष्टाचार के आरोप

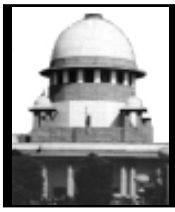

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ लिया संज्ञान

नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश सी.एस. करनन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया है। यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना मामले में स्वत: संज्ञान लिया हो। इतना ही नहीं, यह भी पहली बार होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम सात न्यायाधीशों की पीठ खुली अदालत में न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना पर सुनवाई करेगी।

अभी तक न्यायाधीशों के खिलाफ इधर-उधर से आई शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम विचार करती थी और इन हाउस प्रक्रिया अपनाई जाती थी। खुली अदालत में इस तरह मामले पर सुनवाई नहीं होती थी। जस्टिस करनन ऐसे न्यायाधीश हैं, जो अपने कामों के लिए कई बार चर्चा में रहे हैं। कभी अपने ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आदेश जारी करने में तो कभी और किसी मसले पर चिट्ठियां लिखने में।

सूत्र बताते हैं कि यह मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, जस्टिस करनन के प्रधानमंत्री को न्यायाधीशों के बारे में पत्र लिखने से जुड़ा है। सूत्र बताते हैं जस्टिस करनन ने गत जनवरी में प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर करीब 20 न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनसे पैसे वापस लेने की बात कही है। सूत्र यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री को भेजी गई जस्टिस करनन की चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम हैं। इसके अलावा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगाए गए हैं। इस सब के अलावा जस्टिस करनन ने मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए अपने साथी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उन पर नस्ली भेदभाव का आरोप लगाया था और उन पर एससी एक्ट में मुकदमा करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले पर खुली अदालत में सुनवाई का मन बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे. चेल्मेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी.लोकूर, न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की पीठ जस्टिस करनन के खिलाफ अवमानना के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी होंगे और वे मामले की सुनवाई में न्यायालय की मदद करेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जबकि जस्टिस करनन अपने लीक से हटकर आचरण के लिए चर्चा में रहते हुए एक बार अपने ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना आदेश जारी किया था जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इसके अलावा जस्टिस करनन ने उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने पर स्वयं सुनवाई शुरू कर दी थी जिसके खिलाफ बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जस्टिस करनन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस मामले में स्वयं पेश होकर अपनी पैरवी खुद करने की इजाजत मांगी थी और अपने वकील को मुक्त करने का कोर्ट से आग्रह किया था। कोर्ट ने उनके आग्रह पर उनके वकील को उस मामले से मुक्त कर दिया था। उस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने जस्टिस करनन पर करीब 12 फाइलें रखे होने का आरोप लगाया है इस सब पर कोर्ट ने जस्टिस करनन से जवाब मांगा था। जिस मामले में सुनवाई होनी है, वह नई अवमानना याचिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रजिस्टर की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अवमानना नोटिस का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सी एस कर्नन सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। पेश न होने की वजह पता न

(शेष पृष्ठ दो पर)

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध 25 वर्ष पूर्व एक अवमानना याचिका पूर्णतया असफल हो चुकी है

एक चौथाई सदी पूर्व, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट के तात्कालीन जज न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध एक अवमानना याचिका पेश करने की प्रार्थना की थी। उक्त एनजीओ ने उस जज पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई ऐसे पत्र लिखे जिनमें उन्होंने उन जजों के विरुद्ध ''संगीन आरोप'' लगाये जो उस समिति के सदस्य थे जो उनके विरुद्ध जांच कर रही थी। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर दिया।

तात्कालीन सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति पी.बी. सावन्त की अध्यक्षता में संसद में न्यायमूर्ति रामास्वामी को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात्, संसद ने प्रधान न्यायाधीश से सलाह लेकर, एक जांच समिति गठित की थी। जब जांच जारी थी उसी दौरान न्यायमूर्ति रामास्वामी ने 21 जनवरी 1992 को एक पत्र लिखा जिसमें कुछ जजों एवं न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाये। उसके पश्चात् 28 मार्च को लिखे एक पत्र में उन्होंने उस संदर्भ को स्पष्ट किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने पहला वाला पत्र लिखा था।

जांच समिति ने न्यायमूर्ति रामास्वामी को स्वेच्छाचारी एवं उन्मुक्त पद का दुरुपयोग, उद्देश्यपूर्ण एवं सतत् कर्त्तव्यों की अवहेलना, सार्वजनिक धनराशि को विभिन्न तरीकों से निजी उद्देश्यों में काम में लेने की नैतिक भ्रष्टता एवं लापरवाही से वैधानिक नियमों की अवहेलना का दोषी पाया क्योंकि इससे उच्च न्यायिक पद एवं न्यायिक संस्था की बदनामी हुई एवं जनता का न्यायिक प्रशासन में जो विश्वास था वह कमजोर हुआ।

इस जांच रिपोर्ट के पश्चात् संसद ने इन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का, देश के इतिहास में पहली बार, प्रस्ताव पेश किया। परन्तु यह प्रस्ताव, कांग्रेस सांसदों द्वारा वोटिंग न किये जाने के कारण वांछित दो-तिहाई बहुमत नहीं पा सका और 1993 में असफल हो गया।

परन्तु तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश सब्यसाची मुखर्जी ने न्यायमूर्ति रामास्वामी से न्यायिक कार्य हटा लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया वैसा न्यायपालिका में पहले कभी भी न्यायिक निर्देश नहीं दिया गया था जिसके द्वारा उच्चतर न्यायालय ने किसी वर्तमान जज से न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य हटा लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. करनन के विरुद्ध न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया था।

सन् 1992 में एनजीओ ''सब कमेटी ऑन ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी'' द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह प्रार्थना की गई थी कि वह स्वयं संज्ञान लेकर न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध 21 जनवरी 1992 को लिखे गये पत्र के आधार पर अवमानना की कार्यवाही करे।

उस समय के तात्कालिक प्रधान न्यायाधीश एम.एन. वैंकटचलैया एवं न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी एवं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खण्डपीठ ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया परन्तु यह कहा कि ''यदि यह पत्र नहीं लिखा जाता तो काफी गलतफहमियों को टाला जा सकता था। हम यह पत्र लिखे जाने से काफी दु:खी हैं। परन्तु मामले पर ध्यानपूर्वक चिन्तन के बाद, जहां हम अपनी अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हैं वहीं यह सोचते हैं कि व्यापक हित में स्वयं संज्ञान लेकर न्यायमूर्ति बी. रामास्वामी के विरुद्ध कोई अवमानना की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।''

सम्पादकीय ....

आतंकवादियों के समर्थकों को सेना प्रमुख की चेतावनी

सेना प्रमुख जनरल रावत ने कहा है कि आतंकविरोधी अभियानों में बाधा डालने वाले लोगों और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान और आईएस का झंडा लहराने वालों एवं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने वालों से देशद्रोही के तौर पर निपटा जायेगा। कश्मीर में हो रही लगातार मुठभेड़ों में सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और जम्मू-कश्मीर में जब सेना आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही शुरू करती है तो कश्मीर के युवक सेना के विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है इससे हमारी सेना व देश के लोगों का मनोबल कमजोर होता है।

शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सख्त संदेश देते हुए सेना प्रमुख ने कहा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ज्यादा हताहत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोग उनके अभियान में बाधा डालते हैं। कई बार तो वह आतंकवादियों को भगाने में मदद भी करते हैं और आतंकवादियों को पनाह भी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय जनता से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं उनका वह समर्थन न करे। जो लोग आतंकी संगठन आईएस और पाकिस्तान का झंडा लहराकर आतंकियों का समर्थन जारी रखेंगे उन्हें हम राष्ट्र विरोधी तत्व मानकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

सेना प्रमुख के इस बयान पर देश के राजनैतिक दलों में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने सेना प्रमुख के बयान पर न केवल अपना विरोध प्रकट किया बल्कि सेना को सलाह तक दे डाली कि उन्हें संयम से काम लेना चाहिए क्योंकि वो सभी लोग आतंक के समर्थक नहीं हैं। कश्मीर के ही नेशनल कांफ्रेंस के नेता हो या देश के अन्य नेता उन्होंने भी सेना प्रमुख के इस बयान को न केवल अनुचित बताया बल्कि उसकी निन्दा भी की।

इस राष्ट्र की ये कैसी विडम्बना है कि कश्मीर घाटी से पांच लाख कश्मीरी पंडितों को हत्या, बलात्कार के जख्म देकर और अपनी ताकत पर घाटी से खदेड़ दिया तब इन देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं को न तो कोई पीड़ा हुई और न ही कभी इसका विरोध किया। मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए देश के नेतागण किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है बल्कि सत्ता सर्वोपरि है।

कश्मीर में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान की जय जयकार करना और आईएस के झंडे फहराना आम बात हो गई है लेकिन जब सुरक्षाबल आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो वहां के स्थानीय तथाकथित मासूम लोग सेना पर बेखौफ पत्थरबाजी करते हैं उस पर हमारे राजनेता सलाह देते हैं कि सेना को संयम से काम लेना चाहिए पत्थरबाज तो मासूम हैं। कश्मीर के युवा न केवल कश्मीर में उपद्रव करते हैं बल्कि उन्होंने तो जेएनयू तक को नहीं छोड़ा है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने सेना प्रमुख के बयान को सही ठहराया है और देश के आम नागरिक सेना प्रमुख के बयान से सहमत पाये गये हैं।

साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : कोर्ट

नई दिल्ली। फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस एन.वी. रमन की पीठ एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'लोक नीति फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की ओर से दी गई जानकारी की सत्यता जांचने के लिए केन्द्र को एक प्रभावी तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह जांच पड़ताल इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल बैंकिंग कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की फर्जी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान प्री-पेड मोबाइल उपभोक्ताओं को री-चार्ज कराने के दौरान पहचान का विवरण देने के लिए कहा जा सकता है, जैसा कि नए सिम कार्ड उपभोक्ताओं के मामले में होता है। वर्तमान में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से 90 फीसद प्री-पेड उपभोक्ता हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह काफी मुश्किल होगा क्योंकि देशभर में छोटी-छोटी दुकानों तक में प्री-पेड मोबाइल का रीचार्ज किया जाता है। उन्होंने बताया कि मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित ई केवाईसी फार्म भरने की व्यवस्था की जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि बताया गया है कि प्रभावी तंत्र बनाया जाएगा और पड़ताल की प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी कर ली जाएगी... हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिका में किए गए अनुरोध को काफी हद तक मान लिया गया है।

इससे पूर्व अदालत ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से भी याचिकाकर्ता के पत्र का जवाब देने के लिए कहा था, जिसमें उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव दिए थे।

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े ब्योरे दे पीएमओ

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने के लिए नए सिरे से कोशिशें करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पीएमओ के इससे संबंधित एक आरटीआई अर्जी का जवाब देने से इनकार करने के बाद यह निर्देश दिए। पीएमओ ने दावा किया था कि सूचना का उससे लेना-देना नहीं है।

हरिंदर ढींगरा नाम के आवेदक ने पीएमओ से यह प्रमाणित करने की मांग की थी कि क्या जन गण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत हैं? साथ ही उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता को राष्ट्रगान घोषित करने से संबंधित फाइल नोटिंग पूरी करने की मांग की थी। लेकिन पीएमओ ने कहा था कि मांगी गई सूचना का इस सार्वजनिक प्राधिकरण से लेना-देना नहीं है।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि

(शेष पृष्ठ चार पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज...

(पृष्ठ एक का शेष)

होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनन के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें पक्ष रखने का एक मौका और दे दिया है। जस्टिस करनन को अब 10 मार्च को पेश होने का आदेश देते हुए कोर्ट ने सुनवाई तब तक के लिए टाल दी। इस दौरान जस्टिस करनन के न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज पर लगी रोक जारी रहेगी।

मामला टालने या संसद भेजने का किया था अनुरोध : जस्टिस करनन अदालत में तो पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल को पत्र लिखकर यह जरूर कहा था कि इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर के सेवानिवृत्त होने तक टाल दी जाए, अगर ऐसा न हो तो मामला विचार के लिए संसद को भेजा जाए। जस्टिस करनन ने यह भी लिखा कि उन्हें दलित होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनन के इस पत्र को रिकार्ड पर लिया। हालांकि, कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की यह दलील नहीं मानी कि करनन के पेश न होने और उनकी ओर से भेजे गए पत्र में प्रयुक्त भाषा को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय दिए जाएं। इसके बाद उन्हें सफाई देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाए। रोहतगी का कहना था कि नियमों के तहत कोर्ट ऐसा कर सकता है। पीठ ने कहा कि उन्हें लगता था कि जस्टिस करनन पेश होंगे क्योंकि जो पत्र उन्होंने सेक्रेट्री जनरल को भेजा है उसमें यह नहीं लिखा है कि वह पेश नहीं होंगे। हालांकि, कई बार लोग जवाब देने के लिए और समय मांगते हैं और उसका कारण देते हैं अगर कोर्ट को तर्क संगत लगता है तो वो और समय दे देता है।

जस्टिस सी एस करनन को अवमानना नोटिस जारी होने के बाद सबके जेहन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या हाई कोर्ट के सिटिंग जज को दंडित किया जा सकता। संवैधानिक पदों पर बैठे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर कार्रवाई के बारे में कानून क्या कहता है। कानूनविदों की मानें तो सिटिंग जज भी अदालत की अवमानना से नहीं बच सकता। अवमानना में सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज को भी जेल भेज सकता है। लेकिन, कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को न तो पद से हटाया जा सकता है और न ही उसे निलम्बित किया जा सकता है। बस कामकाज छीना जा सकता है।

वैसे तो इस मामले में जो होगा वही आगे नजीर बनेगा, लेकिन कानून की तय सीमाओं पर अगर निगाह डाली जाए तो न्यायालय की अवमानना में हर व्यक्ति पर कार्यवाही हो सकती है और किसी को भी सुप्रीम कोर्ट दंडित कर जेल भेज सकता है। संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही अदालती कार्यवाही से पूरी छूट मिली है, बाकी सब समान हैं। पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नागेन्द्र राय कहते हैं कि अवमानना में सुप्रीम कोर्ट जज को भी दंडित किया जा सकता है। संवैधानिक पद होने का इस पर असर नहीं पड़ता। एक मंत्री भी संवैधानिक पद धारण करता है, लेकिन उसे सजा दी जाती है। ऐसे ही जज को भी कोई छूट नहीं है। हाई कोर्ट के किसी भी सिटिंग जज पर मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.आर. सिंह कहते हैं कि अवमानना में दोषी पाए जाने पर कोर्ट छह महीने की जेल या जुर्माने की सजा दे सकता है। जज को कानून में कोई छूट नहीं है। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट कानून की धारा 16 तो यहां तक कहती है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट या जज न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अवमानना करता है तो वह अपने या किसी दूसरे कोर्ट की अवमानना का भागी हो सकता है। हालांकि यह मामला भिन्न है लेकिन इससे इतना साफ हो जाता है कि जजों को अवमानना से छूट नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश फखरुद्दीन का मत भी यही है। हालांकि, वे कहते हैं कि यह बहुत बाद की बात है। अभी कारण बताओ नोटिस हुआ है, उसका जवाब आएगा। फिर कोर्ट आरोप तय करेगा और उसका जवाब आएगा। इसके बाद साक्ष्य होंगे और तब दोषी पाये जाने पर सजा दी जा सकती है।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए एक जज कहते हैं कि यह मामला बहुत पेचीदा है क्योंकि अगर सिटिंग जज को दंड दिया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। दोषी सिद्ध होने के बाद जज पद पर कैसे रह सकता है। इस मामले में न्यायालय की अवमानना के आधार पर मुख्य न्यायाधीश को सरकार को पत्र लिखना चाहिए और उन न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग की सिफारिश करनी चाहिए।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से सिर्फ महाभियोग के जरिये ही हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद में चलता है और दो-तिहाई बहुमत से पास होने के बाद ही जज पद से हटाया जा सकता है। आज तक कोई भी जज महाभियोग से नहीं हटाया जा सका है, जबकि जजों पर महाभियोग कई बार चला।

जो चंदा देगा वो ही रामलीला कराएगा

वेद व्यास

- राजनीति के लोकतंत्र में आज वही लोग सबसे अधिक मुखर और वाचाल होकर शोर मचा रहे हैं जो खुद चोर हैं। यानि की गुरुजी खुद तो बैंगन खा रहे हैं लेकिन दूसरों को उपदेश सुना रहे हैं। खुले आम उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भ्रष्टाचार की ये महिमा भारत में भी हजारों साल से गाई-बजाई जा रही है और अब तो हालात ये हो गये हैं कि भ्रष्टाचार का सरकारी करण और संस्थानीकरण हो गया है और चुनाव-दर-चुनाव अपराधियों के गिरोह ग्रामसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक घुसपैठ कर रहे हैं। कानून-कायदे अपनी जगह बने रहते हैं और भ्रष्टाचारी अपनी जगह फलते-फूलते रहे हैं। धर्म की तरह भ्रष्टाचार की बेल सदैव हरी रहती है।
- कोई 50 लाख करोड़ रुपयों की सालाना अर्थव्यवस्था, देश के 133 करोड़ देशवासियों की रग-रग में खून-पसीना बनकर बह रही है। आजादी और संविधान की व्यवस्था आने के 70 साल बाद भी स्थिति ये है कि लोकतंत्र को चलाने वाले 1900 पंजीकृत राजनीतिक दलों में से एक भी दल चुनाव आयोग को अपने चंदे-पाणी का हिसाब नहीं बता रहा है और सूचना का अधिकार जैसी पारदर्शिता की अनिवार्यता को सिरे से नकार रहा है। चकबंदी, नसबंदी और नोटबंदी तक के हजारों प्रयास कर लेने के बाद भी राजा नंगा है और गली-मौहल्ले से लेकर सात समन्दर पार, ब्रह्माण्ड तक घूम रहा है और चुटकियां तथा तालियां बजाकर जनता जनार्दन को कहा रहा है कि मै न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। कोई 400 राजनीतिक दल इस लोकतंत्र की गंगा में हर चुनावी कुंभ पर अपने भ्रष्टाचार के गंदे कपड़े धो रहे हैं और आम जनता को हवा में धोती सुखा-सुखा कर भरोसा दिला रहे हैं कि अब राजनीति में मां-बेटे को, बाप-बेटे को, भाई-भतीजे को, चाचा-बुआ को किसी को नहीं छोड़ा जायेगा और डिजिटल इंडिया को कैशलेस और करप्शन लैस बना दिया जायेगा।
- भाईयों-बहनों! मैं भी महात्मागांधी युग से लेकर नरेन्द्र मोदी युग तक भ्रष्टाचार विरोधी-हरिकथा का कीर्तन सुनते-सुनते थक गया हूं और समझता हूं कि भ्रष्टाचार तो इस समय, समाज और सरकार की नीयति है और मुनष्य तथा प्रकृति का ऐसा कर्मफल है कि जिसे आप खाते भी हैं और निगल भी नहीं पाते हैं। कभी कोई अन्ना हजारे आते हैं और सरकार के गले में लोकपाल की घंटी बांध जाते हैं और चले जाते हैं लेकिन लोकपाल अभी तक इस स्वर्ग के समान पवित्र भारत में प्रकट ही नहीं हो रहे हैं? सरकार खुद ही द्वारपाल से लेकर लोकपाल तक और प्रथम रक्षक से लेकर प्रथम भक्षक तक की भूमिका निभा रही है ताकि राजनीति में भ्रष्टाचार का धारावाहिक पूरे तामझाम से चलता रहे।
- हम ऐसा तो नहीं मानते कि भारत का प्रत्येक नागरिक झूंठा, बेईमान और भ्रष्ट है लेकिन इतना स्पष्ट लगता है कि भ्रष्टाचार की गंगा का उद्गम चुनावों की राजनीति में है और इसे धरती पर लाने वाले हमारे ये सभी भागीरथ राजनीतिक दल हैं जो किसी चुनाव आयोग, सूचना का अधिकार और जनता मतदाता को अपने चंदे का हिसाब नहीं देना चाहते और पूरी हठधर्मिता से सभी चोर-चोर मौसेरे भाई की तरह लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सभी 1500 राजनीतिक दल एक-दूसरे के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने में सीबीआई, एनआईए, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सभी तरह की पुलिस, फौज, सिपाही को साथ लेकर शाम, दाम, दण्ड, भेद से अपनी-अपनी सरकार और शासन-प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रचार की यह नोटंकी सदा सुहागन है और भ्रष्टाचार भी अजर-अमर है क्योंकि दूध की रखवाली का काम हमने बिल्लियों को सौंप रखा है।
- ये भ्रष्टाचार हमारे पंचतत्व से बने संसार में सर्वत्र व्याप्त है और अमीरों, शासकों तथा शक्तिमानों की प्राणवायु है और जीवनधारा की तरह सबकी भाग्यरेखा है, क्योंकि भारत में तो आदिकाल से सरस्वती देवी (ज्ञान-विज्ञान) तो, लक्ष्मी देवी (धन, वैभव, विलास) के घर में किरायेदार की तरह रहती है। लोकतंत्र की ये ही विडम्बना आज है कि जनता जिनको राजपाट सौंपती है वही राजनीतिक दल सिंहासन पर चढ़कर जनता को लूटते हैं और भ्रष्टाचार की 'विक्रम-बैताल' कथा जारी रहती है। फिर जो भी हिम्मत करके इस जनधन का हिसाब मांगता है उसी के गले में मुसीबतों की मालाएं डाल दी जाती हैं और हर चक्रव्यूह में कोई न कोई अभिमन्यू ही मारा जाता है। इसी तरह आज का हिसाब ये है कि राजनीतिक दलों का 70 प्रतिशत चंदा अज्ञात रहता है और 11 हजार 400 करोड़ का दिखता हुआ चंदा चुनावों की वैतरणी को पार लगा देता है। नामी-बेनामी राजनीतिक चंदे में 2004 से 2015 तक भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, माकपा, भाकपा और बसपा समेत क्षेत्रीय दलों को चुनाव आयोग के पास 1836 करोड़ रुपये का हिसाब आता है और शेष चंदा चुनावी राजनीति में समा जाता है। आप जान सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार का तीसरा हाथ किसका है? और देश की संसद मौन क्यों है?
- आश्चर्य तो ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव सुधार कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता और जनता जनार्दन हर बार असहाय और लाचारी में इन्हीं राजनीतिक दलों को चुनती रहती है तथा भ्रष्टाचार भी गरीबी मिटाने जैसा एक नारा और धोखा बना रहता है। अब चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार करोड़पति का बाप है और मतदाता चुनावी घोषणाओं के लालच को लॉलीपॉप की तरह चूस रहा है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही ईमानदार हैं और एक-दूसरे के पूरक पूरक हैं।
- भ्रष्टाचार की इस रासलीला में जो चंदा देता है वही रामलीला करवाता है और लोकतंत्र को बेनामी चंदा लेने-देने वाला ही चलाता है। ऐसे में जब बाड़ ही खेत को खा रही हो तब यहां रोटी, कपड़ा, मकान का सपना देखने वाला आखिर कब तक अच्छे दिनों का इंतजार करेगा? हमारे भारतीय समाज में गरीबी को भ्रष्टाचार की राजनीति, कोढ़ में खाज की तरह अपराधी और असामाजक बना रही है और यही कारण है कि लोकतंत्र में गैर बराबरी और अभाव-अभियोग की हिंसा-प्रतिहिंसा बढ़ रही है तथा राजा, राज कर रहा है तो जनता पानी भर रही है। अतः आप सोचिये और जागिये ताकि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को मजबूत किया जा सके।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश के रिश्तेदारों ने करोड़ों रुपये की आय को छुपाया : आयकर जांच में खुलासा

आयकर विभाग द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन एवं उसके रिश्तेदारों की आय निर्धारण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की उनसे खुलासा हुआ कि रिश्तेदारों ने करोड़ों की आय को उजागर नहीं किया था जो कि विभाग ने उनकी सम्पत्तियों के निर्धारण के दौरान सामने आई।

यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जहां एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है कि बालाकृष्णन के रिश्तेदारों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये की सम्पत्ति खरीदे जाने की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया जाये।

रिपोर्ट में उनकी बेटियों, दामादों एवं भाई की आय का वित्त वर्ष 2005-06 से 2012-13 तक का निर्धारण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं है परन्तु यह उजागर हुआ है कि उनके परिवार के सदस्यों ने सम्पत्तियों का अवमूल्यन किया एवं अन्तत: आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आय पर कर देकर मामले को निपटाया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके दामाद, पी वी श्रीनीजन के द्वारा 2009-10 वर्ष के दौरान आय विवरण के अनुसार 26.61 लाख रुपए की आय घोषित की जबकि निर्धारित आय लगभग 1.64 करोड़ रुपए पाई गई। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 में 47.47 लाख की आय घोषित की गई जबकि 2.11 करोड रु. की आय निर्धारित की गई। उसकी आय वर्ष 2011-12 के लिए 22.06 लाख रु. की आय घोषित की जबकि 1.04 करोड़ रु. की आय निर्धारित की गई। इस प्रकार उसने 1.02 करोड़ टैक्स एवं ब्याज के रूप में चुकाए।

उनके दूसरे दामाद एम जे बेनी के मामले में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 में 28.94 लाख रु. की आय घोषित की परन्तु निर्धारित आय 1.79 करोड़ रु. निकली और उसे 97.73 लाख रु. कर एवं ब्याज के रूप में चुकाने पड़े।

रिपोर्ट के अनुसार उनकी बेटी के बी सोनी की आय 38.69 लाख रु. घोषित की गई जबकि निर्धारित आय 1.67 करोड़ रु. बनी और इस प्रकार उसे 38.74 लाख रु. वर्ष 2010-11 के लिए कर एवं ब्याज के रूप में चुकाए।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने दलील दी कि आयकर विभाग ने बालाकृष्णन व उसके परिवारजनों को गैर आनुपातिक एवं बेनामी सम्पत्तियां एकत्रित करने के मामले में पहले बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया था परन्तु उसने यह स्वीकार किया कि कुछ सम्पत्तियों का अवमूल्यन किया गया था जिस पर अब उन्होंने बाजार मूल्य के हिसाब से कर चुका दिया है।

केन्द्रीय सरकार की दलील का अधिवक्ता प्रशान्त भूषण ने कड़ा विरोध किया और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को कहा कि इन दहला देने वाले खुलासों की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आयकर विभाग ने जांच पूरी कर ली है और उसमें उनके विरुद्ध गैर-आनुपातिक सम्पत्तियों का कोई सबूत नहीं मिला है।

प्रशान्त भूषण ने एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वकालत करते हुए कहा कि बालाकृष्णन के रिश्तेदारों ने 21 सम्पत्तियां खरीदी गई थीं जबकि उनकी आय सीमित थी। उन्होंने सम्पत्ति के विक्रय पत्रों की प्रति भी न्यायालय में पेश की।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े 634 मेडिकल छात्रों के दाखिले रद्द किये

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) से सम्बन्धित घोटालों से जुड़े एक मामले में सामूहिक नकल के दोषी 634 मेडिकल छात्रों के दाखिले रद्द कर दिये।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सामूहिक नकल के दोषी छात्रों के दाखिले रद्द किये। न्यायालय ने कहा कि 2008 से 2012 तक पांच वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम में किये गये दाखिले नियम सापेक्ष नहीं थे।

उच्च न्यायालय ने मेडिकल छात्रों को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी इन मेडिकल छात्रों को राहत दी जाये या नहीं।

गौरतलब है कि छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर एवं न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे) की पीठ ने दो अलग-अलग फैसले सुनाये थे। बाद में मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

- *शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये आदेश दिये*
- *सामूहिक नकल के दोषी इन मेडिकल छात्रों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह सामूहिक नकल वर्ष 2008 से 2012 के मेडिकल छात्रों के प्रवेश की परीक्षा में की गई थी*

व्यापम में सामूहिक नकल की बात सामने आने पर 2008-2012 के छात्रों के बैच के दाखिले रद्द कर दिये गये थे।

उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मांग को औचित्यहीन बताया है। यहां जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने चौहान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ये सभी छात्र नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि इनसे सरकार, चिकित्सा-शिक्षा माफिया, दलाल और व्यापम से जुड़े भ्रष्ट अधिकारी एक बड़ी रकम लेकर नकल करवा रहे थे। यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि फैसले में जिस अवधि (2008-2012) का जिक्र किया गया है, उस अवधि में चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास था। वे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें।

दुनिया भर में सबसे ज्यादा बम विस्फोट भारत में हुए

नई दिल्ली। पिछले वर्ष दुनिया भर में सबसे ज्यादा बम विस्फोट की घटनाएं भारत में हुई तथा युद्धग्रस्त इराक और अफगानिस्तान की तुलना में भी यहां ज्यादा बम विस्फोट की घटनाएं हुई।

राष्ट्रीय बम आंकड़ा केन्द्र (एनबीडीसी) ने बताया कि देश में इस तरह की 406 घटनाएं हुईं जिनमें

राष्ट्रगान और...

(पृष्ठ दो का शेष)

यह हैरान करने वाली बात है कि इन राष्ट्रीय पहलुओं पर सभी उच्च कार्यालयों के केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआइओ) ने दिमाग लगाए बिना सीधा इसे दूसरों के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस चुप्पी से संदेह उठते हैं कि केन्द्र सरकार के पास जन गण मन और वंदे मातरम को लेकर कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं।

सूचना आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रगान के प्रति लोगों में सम्मान की भावना भरने के लिए केन्द्र सरकार को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित करने के ऐतिहासिक महत्व और प्रमुख कारणों को लेकर लोगों को शिक्षित करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने या उसके सम्मान में खड़े नहीं होने के लिए दंडित करने से पहले उन्हें इसकी महत्ता से वाकिफ कराना चाहिए।

सूचना आयुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर अविश्वसनीय बयानों के दुष्प्रचार से पैदा हुए भ्रम को देखते हुए देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में व्यापक विश्वसनीय सूचना देने की जरूरत है। आचार्युलू ने कहा कि भारत के लोगों की देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं पर ध्यान देना राष्ट्रीय जरूरत है।

आईईडी और आयुध कारखानों के विस्फोट शामिल हैं। इराक 221 विस्फोट के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर है। बहरहाल इसने विस्फोट में मरने वालों की संख्या नहीं बताई है। एनबीडीसी विस्फोट बाद नोडल जांच विभाग के तौर पर एनएसजी के तहत काम करता है। रिपोर्ट में वैश्विक आंकड़े को लेकर सचेत होने के स्वर हैं और इसमें कहा गया है कि केन्द्र ने ये आंकड़े खुले स्रोतों से हासिल किए।

पड़ौसी पाकिस्तान में 2016 में ऐसी कुल 161 घटनाएं हुईं जबकि अफगानिस्तान में 132 और तुर्की में 92, थाईलैंड में 71, दक्षिण अफ्रीका में 63, सीरिया में 56, मिश्र में 42 और बांग्लादेश में 29 विस्फोट के मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के एनबीडीसी ने बमशेल शीर्षक से ऐसी घटनाओं के वार्षिक संकलन में कहा गया कि यह घटनाओं की निश्चित संख्या और ब्यौरे को नहीं दर्शाता है।

लालू ने तेजप्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की फरियाद के साथ दायर याचिका पर विचार करेगा। तेजप्रताप की तस्वीर जेल में बंद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के नजदीकी कथित शार्प शूटर के साथ मीडिया में प्रकाशित हुई थी। शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था ताकि उनके खिलाफ मुकदमों की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई की जा सके। लेकिन उसने तेज प्रताप का मामला लम्बित रखा और कहा कि वह इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय के पीठ ने कहा कि इस तरह बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और सीवान जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने के अनुरोध को छोड़ याचिका का निस्तारण किया जाता है। इस अनुरोध के बारे में 21 अप्रैल को अपराह्न दो बजे आगे सुनवाई की जाएगी। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने अपनी याचिका में हत्या के मामले में वांछित अपराधी के साथ साजिश रचने और उसे पनाह देने के आरोप में शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। राजदेव रंजन की पिछले साल मई में सीवान में हत्या कर दी गई थी। उनके वकील ने अदालत में आरोप लगाया कि पिछले साल सितम्बर में उसने आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आवेद को उस समय फरार थे, की तस्वीरें समाचार चैनलों में तेज प्रताप के साथ देखी थीं। पीठ ने 17 जनवरी को कहा था कि शहाबुद्दीन और यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अलग से विचार किया जाएगा।

संभावित सजा का आधा समय जेल में बिता चुके कैदी होंगे रिहा

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सभी हाई कोर्ट से संभावित सजा का आधा समय जेल में बिता चुके विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके लिए जमानतदार की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी 24 हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ऐसे विचाराधीन कैदियों के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर उनकी रिहाई सुनिश्चित करें और जिला अदालतों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। गौरतलब है कि तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट और सरकार से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संज्ञान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि संभावित सजा की आधी अवधि पूरा करने के बाद विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए स्वत: कार्रवाई करें। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 434-ए के मुताबिक अगर कोई विचाराधीन कैदी कथित अपराध के लिए मिलने वाली संभावित सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका है तो उसे जमानतदार या बिना जमानतदार के ही जमानत दी जा सकती है। लेकिन जिन अपराधों में आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है, उनमें यह लागू नहीं होगा।

कानून मंत्री ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें इस तरह के सभी मामलों की समीक्षा करने और उनकी रिहाई के लिए स्वत: संज्ञान लेने के वास्ते जिला न्यायपालिका को सलाह देनी चाहिए। उन्होंने लिखा है, विचाराधीन कैदियों की लगातार प्रभावी रिहाई के लिए उच्च न्यायालय को विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समिति तंत्र बनाना चाहिए ताकि उनके मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक जेलों में बंद कैदियों में 67 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। यानी इन कैदियों पर अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है।

खरी-खरी

'कानून के समक्ष सब बराबर' की अवधारणा : बस भ्रान्ति

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

'कानून के सामने सब बराबर है' प्राय: हर देश की न्याय व्यवस्था की यह सर्वमान्य मान्यता या अवधारणा है। जिसे कभी चुनौती दी भी नहीं गई है। इसका गहन रूप से व्यवहारिक विश्लेषण किया जाये तो स्थिति विपरीत सी लगती है। इसी अवधारणा के कारण न्यायिक फैसले और न्याय के बीच में धन, सम्पर्क, प्रभाव, लालच, भय, छोटे-बड़े, सेलिब्रिटी, वीआईपी, संभ्रान्त, हैसियत, राजनीति, अनुगृहीत करने और होने जैसे तत्व आ जाते हैं। जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित, विलम्बित, दूषित, एक तरफा होती रहती है। इसी कारण से फैसले तो होते हैं लेकिन न्याय बहुत कम मामलों में हो पाता है तथा समाज को अचम्भित, भयभीत, आशंकित करने वाले 'सलमानखानी' बीसीसीआई की तरह प्रबंध व्यवस्था, राजा भाईयों, जय ललिता, अमित शाह, नरेन्द्र मोदी, वोडाफोन जैसे फैसले आते रहते हैं। यह सार्वजनिक सत्य है कि इन सभी फैसलों को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से 'साम, दाम, दण्ड, भेद' नीति याने कुनीति का इस्तेमाल हुआ है।

तब ही तो सलमान के प्राय: हर मामले में सारी न्यायिक प्रक्रियाएं लीक से हट कर हुई हैं। हिट एंड रन मामले में तो सम्बन्धित न्यायाधीश ने फैसला सुनाने के सम्बन्ध में जल्दबाजी की सारी हदें ही पार कर दी थी। उससे लगता था जैसे यह कैसा फैसला सुनाते ही जज 'ऊंचे स्तर' के 'पुरस्कार' से सम्मानित होंगे। कोर्ट में सलमान का इंतजार इस तरह से किया जा रहा था जैसे मान्यता देने हेतु आने वाली टीम के सदस्यों का किया जाता है। सलमान और उसकी कार से कुचले जाने वाले सड़क के स्थायी शरणार्थी की मुकदमा लड़ने की क्या बराबरीहै। सलमान के पास सम्पर्क, प्रभाव, धन व बाहुबल, कुछ भी कितने में भी खरीदने की क्षमता प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ाने की हैसियत, चाहने वालों का पागलपन और सबसे बड़ी बात सेलेब्रिटी का ठप्पा है और उसके विरुद्ध लड़ने वाला पेट से भूखा, सम्पर्क से शून्य, इच्छाशक्ति से सुन्न और हर तरह से असहाय है। ऐसे व्यक्ति से पेशी पर आने, सबूत लाने, वकील को चुकाने, जज को समझाने, कोर्ट की भाषा में बोल पाने, आरोपित के सामने खड़ा हो पाने, प्रभावित करने वालों को रोक पाने, भूखे रहकर जीत जाने की आशा करना मानवता का मजाक उड़ाना ही है। यह स्थिति 'कानून के सामने सब बराबर' का छलावा है। क्योंकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में ऐसे ही कारणों से न्यायिक प्रक्रिया लम्बी, फैसले विलम्बित और अन्याय अधिक होता है। सैद्धान्तिक रूप से तो जज 'मी लार्ड' याने भगवान होता है लेकिन उसकी कलम को सबूतों, गवाहों, दस्तावेजों की यथानुसार अनुपलब्धता सही लिखने ही नहीं देती है। 'कानून के सामने सब बराबर' के सिद्धान्त के कारण भारत में प्राय: सभी आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, समाज कंटक, देशद्रोही अन्तत: इज्जत के साथ बरी कर दिये जाते हैं। इसका एक शर्मनाक ताजा उदाहरण है, '2005 के दिल्ली ब्लास्ट कांड' के तीन में से दो आरोपियों का इज्जत के साथ बरी हो जाना और 67 लोगों की मौत का कोई भी दोषी नहीं पाया जाना। जबकि इसके लिए 12 साल मुकदमेबाजी में असामान्य धन, श्रम, दिमाग, खर्च हुआ। यानी जो घटना दर्दनाक, राष्ट्र पर आघात, आतंकवादियों की नापाक हरकत बताई गई उसके प्रमाण लॉर्ड बने जज एकत्रित नहीं करवा सके। इस दुर्घटना को 'कानून के सामने सब बराबर' सिद्धान्त की सबसे बड़ी त्रासदी ही माना जायेगा। जो समाज, देश, सरकार, लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था के लिये शर्मनाक ही माना जायेगा।

एक उदाहरण अतिक्रमण और अनियमित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लिया जा सकता है। सरकारी भूमि पर कब्जा करना, अतिक्रमण माना जाता है लेकिन यहां भी 'कानून के सामने सब बराबर' के सिद्धान्त के कारण ही महा अतिक्रमणकारी और अनियमित निर्माणकर्त्ता हर बार अपना काम करते रहते हैं और उनकी तुलना में 'सुई की नोक' के बराबर अतिक्रमण और घनघोर मजबूरी में अनियमित निर्माणकर्त्ता कुचले जाते हैं। जयपुर का ही उदाहरण लें तो यहां लाखों इमारतें अनियमित, बिना नक्शे के और बहुत सी सरकारी जमीन पर बनी है, अवैध कॉलोनियां हजारों की संख्या में है। जेडीए ने तो महावीर कैंसर अस्पताल, दुर्लभ जी अस्पताल जैसी सैंकड़ों ईमारतों को अवैध मानते हुए अधिगृहण के नोटिस दे रखे हैं, सुबोध शिक्षा समिति पर तो सीबीआई का मुकदमा चल रहा है लेकिन 'कानून के सामने सब बराबर' की आड़ में उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। जबकि दूसरी ओर बस सर छिपाने के लिये झोंपड़े बनाने वालों को 'बाल नौंच' कर, बेदखल कर दिया जाता है। बराबरी की बात करने वाला कानून अन्याय के अलावा अपवादस्वरूप ही कुछ करता है। यह जानबूझ कर कानूनी धाराओं, सबूतों एवं गवाहों के इंतजार में महा अतिक्रमणवादियों, घनघोर अनियमितताकर्ताओं, सरकारी भूमि पर दबंगई से कब्जा करने वालों को बचाने का भरपूर मौका देता है। क्योंकि इनके पास दो नम्बरी काम करवा सकने वाले बड़े वकील को खरीदने, जजों को फलीतार्थ कर पाने, अधिकारियों को गूंगा, बहरा एवं अंधा बनाने, एक्टिविस्टों को दबाने एवं नियमों की व्याख्या अपने हितानुसार करवाने और विरोधियों को औकात में रखने का हौंसला होता है। यह 'कानून के सामने असमानता' का ही उदाहरण है।

कानून तोड़ने, सीबीआई में चार्जशीटेड, सरकारी धन के दुरुपयोग, अनियमितताओं के चैम्पियन, आयकर वंचक, छापे भुगतु को जज सार्वजनिक मंच पर एक साथ बैठ कर महिमा मंडित करने तथा ऐसे लोगों की जगह शिकायत करने का पवित्र काम करने वाले साहसियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपेक्षित करे तो व्यवहारिक रूप से तो कानून के सामने दो पक्ष समान कैसे हो सकते हैं? जबकि ऐसा भेद सर्वोच्च न्यायालय के जज तक आम रूप से करते देखे जा सकते हैं। जज अपनी हरकतों को 'कैद' करने के लिए अपने चैम्बर में सीसी टीवी कैमरे नहीं लगाये और अपराधों पर अंकुश के लिये हर किसी संस्था व सरकार को ऐसा करने का आदेश दे, जयपुर में उच्च न्यायालय के सामने नो पार्किंग जोन में सैंकड़ों गाड़ियां किसी जज को कभी दिखाई नहीं दे और एक जज रोड पर पार्किंग न करने का सनकी भरा आदेश निकाल दे, प्राय: हर कोर्ट में भ्रष्टाचारी खुलेआम फाइल निकालने, तारीख देने, फाइल दबाने आदि बहानों से कर्मचारी 'सहयोग' से भ्रष्टाचार करते रहते हैं और वे ही कोर्ट 'भ्रष्टाचारियों' के विरुद्ध रोज फैसले सुनाते और 'पता नहीं क्यों' की तर्ज पर बदलते रहते हैं, हर सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह होता है लेकिन एक फैसले के एक ही दिन में बदले जाने पर भी दो में से कोई जज कानून का अज्ञानी, सूचनाहीन, अकर्मण्य, आलसी, लापरवाह, अनियमितताकर्ता या भ्रष्ट नहीं माना जाता है। ऐसा अगर राजनेता या अधिकारी कर दे तो मीडिया उनकी 'खाट खड़ी' कर देता है लेकिन किसी जज के सम्बन्ध में बस अवमानना के डर बल्कि आतंक से अपना मुंह बंद व जमीर को 'कैद' करे रहता है तो कानून के सामने सब बराबर कैसे हुए? यह कानून की कैसी समानता है कि जहां भ्रष्टाचार होता है तथा उस संस्था के राष्ट्रीय सर्वोच्च अधिकारी सार्वजनिक रूप से इसे मानते भी हैं वहीं पर न चाहते हुए भी आम जन को न्याय की आशा में जाना पड़ता है बल्कि कई 'रावणों' को 'राम' मानना पड़ता है।

यह 'कानून के सामने सब बराबर' की कैसी अवधारणा है कि लोकतंत्र में जिस मतदाता के पास सार्वभौमिकता होती है वह तो सामान्य और जो उससे सृजित है वह खासमखास याने वीवीआईपी स्वयं ही बन जाता है। जो पब्लिक सर्वेन्ट होता है वह मालिक जैसा व्यवहार करता और अधिकार रखता है, जि कोर्ट में पुस्तक पर हाथ रख कर शपथ दिलवाई जाती है वहां शपथ दिलवाने वाला स्वयं ही 'मी लार्ड' याने भगवान बन जाता है। ऐसे में समानता कैसे रह सकती है?

किसी शायर ने सही कहा है कि 'हम आह भी भरते हैं तो शोर होता है, वे कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती।' यही हाल कानून की बराबरी का है। पब्लिक सर्वेन्ट और जन प्रतिनिधि कैसा भी गुनाह कर दे, सरकारी सहमति के बिना कोई भी अधिकारी उन पर हाथ नहीं रख सकता है। प्रलापकारी यथार्थ तो यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो आम तौर पर मुख्यमंत्री के ही नियंत्रण में होता है द्वारा किसी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़े जाने, सारे सबूत होने, अधिकारी की ईमानदारी शक के दायरे से बहुत दूर होने, हजारों पेज की केस डायरी बन जाने के बावजूद उस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिये सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जो आम तौर पर नहीं दी जाती है, मामले को असीमित समय तक लटकाया जाता है, मामले को 'विलुप्त' करने के लिये सीईडी (सीबी) में ले जाया जाता है, रास्ते में आने वाले ईमानदार एवं कानून की इज्जत करने वाले सम्बन्धित अफसरों के तबादले 'सजा' वाली जगह किये जाते हैं। इस सबके बाद भी अपवादस्वरूप कोई मामला अंतिम परिणाम तक पहुंचने वाला हो ही जाता है तो सरकार बेशर्मी दिखाते हुए कभी भी वापस ले लेती है। जबकि दूसरी ओर देश में लाखों केसेज ऐसे हैं जहां बिना मामला दर्ज हुए ही जेलों में पड़े हैं, जमानत के अभाव में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, नर्क से भी बुरी जिन्दगी जीने को विवश किये जा रहे हैं। अधिक प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जो आरोपित हुए बिना ही संभावित सजा से अधिक अवधि जेल में काट चुके हैं। यह कैसे व क्यों 'समानता' है? कुछ लोगों को 'भाग जाने' व कानूनी जंजाल से छूट जाने का हर संभव गैर कानूनी, असंवैधानिक और शर्मनाक मौके दिये जाते हैं और लाखों लोगों को बिना आरोपित किये अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर किया जाता है।

जजों को मिले स्व विवेकाधिकारों के कारण भी 'कानून के सामने सब बराबर' की अवधारणा 'कत्लकारी' हो गई है। जज किसी भी केस को महत्व का बता कर उसकी सुनवाई पहले करवा सकता है याने दूसरे के अधिकारों पर सीधी चोट कर सकता है। जबकि ऐसा लाभ प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग राजनीतिक, पहुंचे हुए आरोपित, सरकारी धन को डकारने वाले तथाकथित वीआईपी, सेलिब्रिटी, संभ्रान्त लोग ही होते हैं। यह 'कानून के सामने सब एक' अवधारणा का मजाक ही है क्या ऐसे लोग जमानत की अर्जी एक के बाद एक तब तक लगाते रहते हैं जब तक जेल के बाहर नहीं आ जाते हैं। जज आउट ऑफ टर्न ऐसे लोगों की अपील को सुनकर सामान्य प्रक्रियाबद्ध लोगों के अधिकारों पर सीधा प्रहार कर कुछ ही लोगों की कानून से ऊपर वालों की छवि बना कर उन्हें महिमा मंडित क्यों करते हैं? ऐसा ही तारीखें देने के मामले में होता है। यह क्या मजाक है कि जज की दी तारीख पर सुनवाई इसलिए नहीं होती कि सम्बन्धित वकील दूसरे मामले में पैरवी कर रहा है। जबकि यह तो जज के आदेश का खुला अपमान है। इसका खामियाजा मूलत: कमजोर पक्ष को ही भुगतना पड़ता है। 'कानून के सामने सब बराबर' की अवधारणा का तकाजा तो यह है कि कोर्ट परिसर में किसी की सुरक्षा के नाम पर विशेष व्यवस्था सरकारी खर्च पर करवाना तो आरोपित को अतिरिक्त इजाजत देना है। जबकि दूसरा पक्ष ऐसे माहौल में अपने को स्वत: अपमानित, कमजोर, बेचारा, असहाय महसूस कर टूट जाता है। जिसका सीधा लाभ 'बलवान' पक्षकार को मिलता है।

न्यायिक क्षेत्र में जजों, न्यायिक कर्मचारियों, ढांचागत सुविधाओं, तकनीक, धन आवंटन की कमी का तर्क इस क्षेत्र की हर विफलता के लिये दे दिया जाता है लेकिन इसका नुकसान भी समाज के सीमांत व्यक्ति को ही उठाना पड़ता है। 'ऊपरी लेवल' का व्यक्ति तो इस सब के बावजूद भी अपना हित ऊपर-ऊपर ही सधवा लेता है। ऐसे में भारतीय न्यायिक व्यवस्था को अंग्रेजी, संभ्रांति, विलम्बकारी, धन आधारित, जवाबदेहीहीन अव्यवस्था से बाहर निकालकर उसे जनपरक, संवेदनशील, पक्षपात रहित, त्वरित, समयबद्धता आधारित एवं लोकतांत्रिक बनाने की परम आवश्यकता है। जिससे भारत की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को बचाये रखा जा सके।

निर्वाचन आयोग से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब-क्यों नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन

धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर हाई कोर्ट गंभीर

लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के विधानसभा चुनाव में नेताओं, प्रत्याशियों और उनके मददगार एजेंटों द्वारा धर्म विशेष के नाम पर वोट मांगने, भाषण या अपील करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बार-बार प्रसारित करने पर रोक लगाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। अदालत ने आयोग से जानना चाहा है कि अब तक ऐसा करने वाले लोगों के लिए क्या नीति तय की गई है और पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है?

न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने याची अजमल खान की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता धर्म विशेष के आधार पर भाषण दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। उनके कथनों को प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया बढ़-चढ़ कर प्रसारित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राडकास्ट कई बार डिबेट दोहराई जाती है, जिससे समाज की एकता व अखंडता पर विपरीत असर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि भारत संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिकों को किसी धर्म विशेष का सहारा लेकर गुमराह किया जाना गलत है।

यह भी कहा गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) के अनुसार भी ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। याचिका में मांग की गई है कि धर्म विशेष की बातों को लेकर नेताओं द्वारा दिए जाने वाले भाषणों पर पाबंदी लगाई जाए व इनको समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर भी प्रसारित करने से रोका जाए।

याचिका में कहा गया कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में संज्ञान लेते हुए किसी विशेष धर्म के आधार पर वोट मांगने तथा अपील या भाषण करने पर रोक लगाई है। सुनवाई के समय कहा गया कि अनेक राजनीतिक दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। याचिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चन्द्र मिश्र, राजेन्द्र त्रिपाठी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना कल्बे जवाद नकवी, मौलाना सैयद अहमद बुखारी तथा सफदर अली काजमी को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।

कर्नाटक का प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के 'कैच अप' नियम को भी बरकरार रखा है।

कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस यू.यू. ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर-तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। हालांकि, इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया।

किसानों की आत्महत्या पर केन्द्र-राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फसल खराब होने पर कर्ज न चुका पाने के कारण खुदकशी कर रहे किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए किसानों की समस्या उठाने वाली एक जनहित याचिका का स्वयं दायरा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मामले को मानवाधिकार का संवेदनशील मुद्दा बताते हुए केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर किसानों की कल्याणकारी योजनाओं पर जवाब मांगा है।

ये नोटिस मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनीशिएटिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। पीठ ने कहा कि ये पूरे देश से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है और इसमें सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों और केन्द्र सरकार व आरबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते फसल खराब होने पर बहुत से किसान कर्ज अदा न कर पाने के कारण खुदकशी कर लेते हैं, उनके लिए क्या योजना और नीति है। इस मामले में कोर्ट फसल बीमा योजना व किसानों से जुड़ी अन्य योजनाओं व राष्ट्रीय नीति पर विचार करेगा। वैसे जनहित याचिका में सिर्फ गुजरात के किसानों का मुद्दा उठाया गया था। 2013 की इस याचिका पर तभी राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ था। याचिका में कहा गया है कि 2003 से 2013 के बीच गुजरात में 692 किसानों ने आत्महत्या की। याचिका में कहा गया है कि किसानों के कर्ज अदा न कर पाने का मुद्दा उठाते हुए खुदकशी करने वाले किसानों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है।

रोजवैली चिटफंड घोटाला

वीडियो सामने आने के बाद अफसर को किया निलंबित

कोलकाता। 17 हजार करोड़ रुपये के रोजवैली चिटफंड घोटाले के मुख्य सूत्रधार गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोडल जांच अफसर मनोज कुमार का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ईडी ने इस आरोपी जांच अधिकारी को निलम्बित कर दिया।

करीब एक महीने पहले ईडी के कोलकाता ऑफिस के नोडल जांच अधिकारी (आइओ) एक महिला के साथ दिल्ली के होटल में ठहरे थे। फ्लाइट से दोनों कोलकाता आए थे। कोलकाता पुलिस को मिले फुटेज के आधार पर दावा किया गया है कि ईडी अफसर रोजवैली के चेयरमैन गौतम कुंडू की पत्नी के साथ करीब एक महीने पहले दिल्ली के सुंदर नगर इलाके के एक होटल में रुके थे। नोटबंदी के बाद एक हवाला केस की जांच के दौरान कोलकाता पुलिस को यह फुटेज हाथ लगी, जो बाद में मीडिया में सर्कुलेट हो गई। इस मामले में ईडी ने जांच के निर्देश दिए हैं और फुटेज में दिख रहे अफसर को जांच से हटाने के साथ निलम्बित कर दिया गया है। घोटाले में सीबीआई ने जनवरी की शुरूआत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल को गिरफ्तार किया था। इसके पहले मार्च, 2015 में ईडी ने रोजवैली के चेयरमैन गौतम कुंडू को पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

क्या है वीडियो में : दिल्ली के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मामले की जांच करने वाले नोडल ऑफिसर मनोज कुमार या कोई ऐसा शख्स जो उनके जैसा दिखता है, होटल में चेक-इन करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो महिला है, वह शुभ्रा कुंडू से मिलती-जुलती है।

चिदंबरम के खिलाफ ठोस सबूत लाएं स्वामी : सुप्रीम कोर्ट

एअरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित भूमिका का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि वे 2006 में एअरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए एफआईपीबी की मंजूरी देने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से कथित रूप से अवैध तरीका अपनाने के आरोप की पुष्टि के लिए ठोस सामग्री लाएं।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय यखवंत चंद्रचूड की खंडपीठ के समक्ष स्वामी ने दलील दी कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबदम ने इस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी दी थी। जबकि उसे उस समय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंमिंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास भेजा जाना चाहिए था।

स्वामी ने कहा कि 600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफडीआई) के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ आर्थिक मामलों की समिति को ही था। इस पर अदालत ने स्वामी से कहा कि इन आरोपों के बारे में उन्हें ठोस सामग्री प्राप्त कर पेश करनी होगी। स्वामी ने दावा किया यह सौदा करीब 3500 करोड़ रुपए का था। इसके लिए एफआईपीबी मंजूरी तत्कालीन वित्त मंत्री ने दी। जबकि इसके 600 करोड़ रुपए की सीमा से काफी ऊंचा होने के नाते इसे आर्थिक मामलों की समिति को मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए था। इस पर पीठ ने जानना चाहा कि उनके पास क्या सामग्री है। वित्तमंत्री तो रोजाना दो सौ फाइलें देखते हैं। हालांकि स्वामी ने तर्क दिया कि वित्त मंत्री होने के नाते चिदम्बरत को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और कोई भी वित्तमंत्री यह नहीं कह सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। इस पर पीठ ने कहा कि आप हमें कुछ तो सामग्री दिखाएं जिससे संकेत मिलता हो कि उन्हें इसकी जानकारी थी।

स्वामी ने एअरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दाखिल आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि वित्त मंत्री 600 करोड़ रुपए तक की मंजूरी दे सकते थे। चूंकि इस मामले में 3500 करोड़ रुपए का निवेश लेने शामिल था, इसे मंजूरी देने के लिए सिर्फ मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ही सक्षम थी। स्वामी ने दावा किया कि उन्होंने (चिदम्बरम) ने इसे मंजूरी दी। उन्होंने ही इस पर दस्तखत किए।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर केन्द्र से किये चार सवाल

नई दिल्ली। मुसलमानों में प्रचलित एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत), निकाह हलाला और बहुविवाह को संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षण मिलेगा या नहीं? ये सवाल केन्द्र सरकार ने तीन तलाक मामले में सुप्रीमकोर्ट के सामने विचार के लिए रखे हैं। हालांकि, कोर्ट ने अभी तय नहीं किया है कि किन-किन कानूनी सवालों पर विचार किया जाएगा, लेकिन मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजे जाने का संकेत जरूर दिया।

मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह मामले पर कोर्ट ने शुरूआत में स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। बाद में कई प्रभावित महिलाओं ने भी याचिकाएं दाखिल कर इन प्रचलनों पर रोक लगाने की मांग कर दी। कोर्ट आअकल उन्हीं पर विचार कर रहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पक्षकारों से मिल-बैठकर विचार के बिन्दु तय करने को कहा था। वकील माधवी दीवान ने कोर्ट के समक्ष केन्द्र सरकार की ओर से विचार के लिए तय किए गए चार सवाल पेश किए। उन्होंने कहा कि विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न बिन्दु हैं, लेकिन सरकार ने चार मुख्य प्रश्न तैयार किए हैं। इनमें व्यापक तौर पर सभी संभावित प्रश्न आ जाते हैं। केन्द्र ने जो चार सवाल कोर्ट के विचारार्थ रखे हैं उनमें पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 में दी गई कानून की परिभाषा में माने जाने के साथ अंतरराष्ट्रीय संधियों में सरकार के दायित्व का मसला भी शामिल है। अनुच्छेद 13 कहता है कि जो कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वह रद्द हो जाएगा। मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के सवालों को देखकर कहा कि इसमें संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है। सवाल महत्वपूर्ण हैं और सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने बाकी मौजूदा पक्षकारों से भी अपनी तरफ से विचार के बिन्दु व लिखित दलीलें देने को कहा, जो 15 पेज से जयादा की न हों। उनमें संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया हो। इन्हें अटॉर्नी जनरल को देना होगा। इनके साथ ही उन पूर्व फैसलों की सूची भी देनी होगी जिनका वे मामले में बहस के दौरान हवाला देना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल उन सबको संकलित कर कोर्ट में पेश करेंगे। मामले पर 30 मार्च को फिर विचार होगा। इस मामले में कोर्ट गर्मी की छुट्टियों में 11 मई से नियमित सुनवाई करेगा। केन्द्र ने शुरूआत में दाखिल किए अपने जवाबी हलफनामे में एक बार में तीन तलाक, हलाला निकाह और बहुविवाह को महिलाओं के साथ भेदभाव मानते हुए विरोध किया था।

शरीयत के एतबार से जायज है तलाक : जफरयाब जीलानी

मुजफ्फरनगर। उत्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य एडवोकेट जफरयाब जीलानी ने कहा कि एक साथ तीन तलाक देना गुनाह है, लेकिन शरीयत के एतबार से जायज है। कानूनी तौर पर किसी भी धर्म में हस्तक्षेप बेजा है।

बुढाना में एक कार्यक्रम में आए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक एडवोकेट जफरयाब जीलानी ने पत्रकारों से कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक पर्सनल लॉ में तब्दीली नहीं की जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। उन्होंने संविधान में आदिवासियों के लिए की गई व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये व्यवस्था दी गई है। पर्सनल लॉ कुरआन व हदीस की रोशनी में लागू होता है। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का भी फैसला है कि कुरआन ऐसी किताब है, जिसमें दिये गए उपबंधों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुहम्मद साहब ने भी एक साथ तीन तलाक को गलत माना, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो तलाक माना जाएगा। यह कुरआन का भी फैसला है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन दूसरे तबके के लोग काफी आगे निकल गए। मुसलमानों ने मदरसे के साथ इतने ही स्कूल व कॉलेज स्थापित कराए होते तो यह स्थिति न होती।

ये हैं केन्द्र के सवाल

- *क्या तलाक ए बिद्दत (एक बार में तीन तलाक), निकाह हलाला और बहुविवाह को संविधान के अनुच्छेद 25 (1) (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) में संरक्षण प्राप्त है*
- *धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या मौलिक अधिकारों के आधीन है, विशेष तौर पर समानता और गरिमा से जीवन जीने के अधिकार के*
- *क्या पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा*
- *क्या तलाक ए बिद्दत, निकाह हलाला और बहु विवाह उन अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते के तहत सही हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं*

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट व सरकार में बनी सहमती

सरकार ने 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं की तथा सुप्रीम कोर्ट ने उन दो हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर नहीं किया, जिस पर सरकार को आपत्ति थी

नई दिल्ली। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जिन्होंने 4 जनवरी को भारत के चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के साथ चली आ रही कलह खत्म है, ज्ञातव्य है कि यह विवाद अक्टूबर 2015 से चला आ रहा था, जब एक संवैधानिक बैंच ने नियुक्तियों और स्थानान्तरणों पर अधिपत्य जमाने के लिए नेशनल जूडिशियल अपॉइन्टमेंट कमीशन (एन.जे.ए.सी.) गठन करने की कोशिशों में अड़ंगा लगा दिया था।

जब सीजेआई ने उन दो जजों के स्थानान्तरण पर जोर नहीं डालने का संकेत दिया तो सरकार को स्वीकार नहीं था तो सरकार ने भी इसके एवज में एक ही बार में 5 जजों को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट में भेजने की मंजूरी दे दी। पांच नये जजों ने शपथ ली, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी तीन पद रिक्त हैं क्योंकि वहां के लिए जजों की कुल स्वीकृत संख्या 31 है।

''इस हाथ दे, उस हाथ ले'' नीति के अन्तर्गत, सीजेआई खेहर के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट के दो जजों के स्थानान्तरण तथा उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को पदोन्नत कर सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। केन्द्र ने कथित रूप से, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वाल्मिकी मेहता के गुजरात स्थानान्तरण तथा गुजरात के जस्टिस एम.आर. शाह के राजस्थान स्थानान्तरण के साथ-साथ जस्टिस जोसेफ, जिन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया था, की पदोन्नति का भी विरोध किया था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एम.ओ.पी.) पर भी मतभेद जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि एमओपी एक नियमावली है, जिसके अनुरूप भविष्य में सभी नियुक्तियां तथा स्थानांतरण संचालित होंगे। जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता बरतने संबंधी याचिका को खारिज किए जाने के दौरान, अभी सीजेआई ने एक माह के भीतर एमओपी के फाइनल होने जाने का संकेत दिया था।

इस विवाद का कारण यह था कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर एमओपी के प्रारंभ में किसी भी जज की नियुक्ति पर वीटो का अधिकार चाहती थी। सरकार यह भी चाहती थी कि नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए एक पृथक सुप्रीम कोर्ट सचिवालय बनाया जाए। तात्कालीन सीजेआई, टी.एस. ठाकुर के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती कॉलेजियम ने इन दोनों ही मांगों को खारिज कर दिया था, जिसके कारण अगस्त माह से ही यह विवाद चला आ रहा है। यद्यपि चीफ जस्टिस खेहर, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा पृथक सचिवालय जैसे विवादास्पद मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाना चाहते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 25 में ट्रिपल तलाक को कोई छूट नहीं, ट्रिपल तलाक पर सेमिनार

हिन्दू धर्म में भी कई सुधार की जरूरत

असंवैधानिक व्यवस्था

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन आर.एस. राठौड़ ने कहा कि मुस्लिम धर्म में ही नहीं हिन्दू धर्म में भी कई सुधार की जरूरत है।

वे विद्यास्थली लॉ कॉलेज, महारानी फार्म में 'ट्रिपल तलाक : विधि, न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन' विषय पर आयोजित तीसरी एक दिवसीय नेशनल सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत तिहरा तलाक को कोई छूट नहीं है। इस तरह की सामाजिक प्रथाओं की वैधता संविधान से गारंटीकृत समानता, सम्मान और मानवीय गरिमा के सिद्धान्तों की कसौटी पर परीक्षण की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के चेयरमैन न्यायाधीश एस.एल. भार्गव ने की।

विशिष्ट अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के डीन प्रो. एस.पी.एस. शेखावत, डॉ.आर.एस. गठाला और जस्टिस एस.एन. भार्गव ने कहा कि तिहारा तलाक या मुस्लिम पुरुष द्वारा तीन बार तलाक शब्द का उच्चरण कर पत्नी से छुटकारा पाने की व्यवस्था असंवैधानिक सी प्रतीत होती है तथा यह मुस्लिम स्त्री के सम्मान, गरिमा के साथ अन्याय है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता बीरी सिंह सिनसिनवार, प्रो. जे.पी. यादव, प्रो. यू.सी. सांखला, न्यायाधीश एस.पी. पाठक, प्रो. शौकत अली, अजमते रसूल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद शाजिद सहराई, प्रो. मृदुल श्रीवास्तव, डॉ. जसवेन्द्र नारग, प्रो. रीना अली, प्रो. अंजू त्यागी, प्रो. दीपांकर, प्रो. अशोक सहित 200 से अधिक विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए।

किसी भी व्यक्ति का उसकी बहन को अपने पति से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति पर कोई अधिकार नहीं

किसी महिला का भाई उसके वैवाहिक परिवार का सदस्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि किसी महिला का भाई न तो उसके वैवाहिक परिवार का सदस्य बन सकता है और न ही उसकी बहन द्वारा उसके पति से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर किसी अधिकार का दावा कर सकता है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं आर. भानुमति की खण्डपीठ ने दुर्गा प्रसाद, जिसने अपनी विधवा बहन के परिवार का सदस्य होने का दावा करते हुए देहरादून की एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति में किरायेदारी के अधिकार उत्तराधिकार में प्राप्त होने का दावा किया था, को आदेश दिया कि वो या तो चार सप्ताह में मकान खाली कर दे अथवा न्यायिक अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।

यह सम्पत्ति सन् 1940 में एक श्री हेमराय शर्मा को किराये पर दी गई थी। शर्मा के देहान्त के पश्चात् उसके पुत्र बलदेव को किरायेदारी के अधिकार प्राप्त हुए। बलदेव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ललिता किरायेदार बनी। ललिता की 2013 में मृत्यु हो गई। ललिता के कोई बच्चा नहीं था और वो बिना कोई वसीयत लिखे मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके भाई दुर्गाप्रसाद ने किरायेदारी के अधिकारों का दावा इस आधार पर किया कि वह उस परिवार का सदस्य है क्योंकि वह अपनी बहन के साथ उसी किराये के भवन में रह रहा था एवं बहन के साथ चिकित्सकीय व्यापार चला रहा था।

न्यायमूर्ति भानुमति ने निर्णय लिखते हुए उत्तर प्रदेश अरबन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन) एक्ट 1972 का संदर्भ लेते हुए यह समझने की कोशिश की कि क्या दिवंगत महिला का भाई उसके परिवार का सदस्य अथवा कानूनी उत्तराधिकारी बनने का अधिकारी है। दुर्गाप्रसाद न तो उत्तराधिकारी है और न ही यूपी कानून की धारा 3 के अन्तर्गत परिवार का सदस्य है।

यह देखते हुए कि दिवंगत महिला हिन्दू थी, न्यायालय ने मामले को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी परखने का निर्णय किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पति एवं श्वसुर से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पति/श्वसुर के उत्तराधिकारियों को ही मिल सकती है।

चूंकि दुर्गा प्रसाद ललिता के पति के उत्तराधिकारी के वर्ग में नहीं आता, इसलिए मुकदमे की इमारत की किरायेदारी का उत्तराधिकार दुर्गा प्रसाद को नहीं मिल सकता और न ही उसे उत्तराधिकारी कहा जा सकता है।

दूसरे पहलू यानि कि क्या दुर्गा प्रसाद परिवार का भाग है, को परखते हुए खण्डपीठ ने कहा कि चूंकि वह दिवंगत किरायेदार का भाई है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवार के सदस्यों की दी गई सूची में से भाई एवं बहन को स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है और उसको उस सूची में नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि सूची को सख्ती से पढ़ा एवं व्याख्ति किया जाना चाहिए।

दुर्गा प्रसाद की इस दलील को, कि वह अपनी बहन के साथ लम्बे समय से रह रहा था इसलिए उसका किराये की सम्पत्ति पर अधिकार बनता है, न्यायालय ने निरस्त करते हुए कहा कि दिवंगत ललिता का भाई होने के नाते उसको अपनी विवाहित बहन के साथ रहने का सामान्यतया कोई कारण नजर नहीं आता। और यह भी नोट करने लायक बात है कि ललिता ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी नहीं कहा है कि दुर्गा प्रसाद उसके साथ रह रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था।

23 साल पुराने लेख पर याचिका दायर करना पड़ा महंगा

निरर्थक याचिका : पूर्व विधायक पर 10 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट 23 साल पहले छपे एक लेख पर जांच की मांग पर नाराज हो गया। कोर्ट में इसके लिए फ्रीविलस यानी तुच्छ याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने कहा कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे।

जस्टिस खेहर ने कहा कि यह लेख 1994 का है और आप अब आ रहे हैं। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने 2013 में यह पढ़ा और इसके बाद पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पिछले दिसम्बर में ही हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है।

लेख पर दायर की थी याचिका

जहानाबाद जिले के अरवल इलाके के पूर्व विधायक रविन्द्र सिंह ने 1994 में एक मैगजीन में छपे लेख पर जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि यह लेख पिछड़ी जातियों के खिलाफ है।

माफी मांगने पर सुनाई कहानी

जुर्माना पर याचिकाकर्ता के वकील ने माफी की मांग की तो जस्टिस खेहर ने एक कहानी सुनाई उन्होंने कहा कि जब वह हॉस्टल में थे तो एक छात्र पर 25 रुपए जुर्माना लगा, लेकिन उस छात्र ने विरोध जताया और कहा कि जुर्माना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं अमीर परिवार से हूं। आप विधायक हैं आपको भी छात्र जैसा कहना चाहिए।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

प्रेषक

डॉ. मानचंद खण्डेला
खण्डेला हाउस, 2 ठ 14, जवाहर नगर जयपुर-302004
मो.नं. 9462817770

प्रेषिति

प्रधान निदेशक (एनसीआरबी)
कमरा नं. 235, आयकर विभाग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर

विषय : बेनामी रूप से पचास हजार वर्ग गज भूमि पर कब्जे की शिकायत

सूचनार्थ निवेदन है कि एसएसजैन सुबोध शिक्षा समिति, रामबाग सर्किल, जयपुर के कब्जे में जो पचास हजार वर्ग गज भूमि है उसके कोई संवैधानिक दस्तावेज याने पट्टा या रजिस्ट्री या क्रय पत्र या अन्य नहीं है।

इस भूमि पर समिति पांच शिक्षण संस्थाएं चला कर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की राशि एकत्रित/वसूल करती है।

इस भूमि पर बेनामी कब्जे की पुष्टि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार कानून-2005 के तहत उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं से सुस्पष्ट रूप से होती है (जिसको मैं आपके मांगे जाने पर त्वरित उपलब्ध करवा सकता हूं।)

इस बात का सुस्पष्ट प्रमाण यह है कि संलग्न पत्र में सुबोध शिक्षा समिति आयुक्त, जेडीए, जयपुर से स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र की मांग अनियमिततापूर्वक तथा छद्मपूर्वक कर रही है। जबकि-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुझे आरटीआई में उपलब्ध करवाई सूचना क्रमांक जविप्रा/उपा 1/2014/डी-3888 दिनांक 12.11.2014 में सुस्पष्ट है कि यह भूमि प्रथमतः ही स्थानकवासी श्रावक संघ, जयपुर को आवंटित की गई थी। न कि सुबोध शिक्षा समिति को।

श्रावक संघ ने भी जविप्रा के दस्तावेजों के अनुसार भूमि आवंटन के बाद आवंटन राशि का भी पार्ट पेमेन्ट नजराना राशि के रूप में केवल पचास हजार रुपये ही जमा करवाये थे याने वर्ष 1966 के बाद श्रावक संघ ने निम्न में से किसी भी दायित्व का भुगतान नहीं किया

- बकाया आवंटन पेटे राशि
- लीज -कन्वरजन शुल्क-पेनल्टी, हाउस टैक्स आदि

इस आधार पर यह भूखंड कानूनी रूप से श्रावक संघ के स्वामित्व में भी नहीं है।

जबकि एसएसजैन सुबोध शिक्षा समिति ने इस भूखंड पर बेनामी कब्जा कर रखा है। जिसको कानून के अनुसार बेदलखल कर कब्जाधारियों के विरुद्ध यथानुसार कार्यवाही की मांग मैं करता हूं। क्योंकि इस भूखण्ड पर शिक्षण संस्थाएं चल कर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये संग्रहित किये जा रहे हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार इस राशि पर कानूनी रूप से आवश्यक आयकर राशि भी वर्षों से जमा नहीं करवाई जा रही है जो कुल अरबों रुपये की हो सकती है।

जब सुबोध शिक्षा समिति जिस भूमि पर शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है पर बेनामी रूप से कब्जा किये हुए है तो उसे 80 सी आदि का आयकर कानून के अनुसार लाभ/रियायत दिये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

आपके विभाग को केवल कब्जाधारी/कब्जाधारियों से केवल भूमि संबंधी कोई भी कानूनी दस्तावेज जैसे पट्टा, क्रय पत्र, रजिस्ट्री आदि मांगने का श्रम करना है। जो न सुबोध शिक्षा समिति व न श्रावक संघ के पास है। ऐसे में समिति के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।

मैं आप द्वारा आवश्यकता होने पर हर प्रकार का सहयोग करने का वादा करता हूं।

आपका
डॉ. मानचंद खण्डेला

संलग्न : 2 दस्तावेज

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1. श्री जे.पी. बंसल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2. श्री दामोदर मिश्रा — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3. श्री वी.के. अग्रवाल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4. श्री डॉ.पी.एन. रछोया — सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5. डा. मोहिनी शर्मा — एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6. श्री रामदयाल खंडेलवाल — संस्थानिक प्रतिनिधि
7. श्री विष्णुकांत शर्मा — एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**